

E-Mail

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018-II

जयपुर, दिनांक: 05.03.2019

गेहूँ आवंटन आदेश माह अप्रैल, 2019
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-8/2013-बी.पी.-III दिनांक 26.09.2013 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गार्डलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशन कार्डधारियों को 1/- रु. प्रति किग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2/- रु. प्रति किग्रा. की दर से पात्रतानुसार माह अप्रैल, 2019 हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूँ) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। माह अप्रैल, 2019 के पेटे गेहूँ का मासिक आवंटन 02 श्रेणियों में किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में अप्रैल माह हेतु उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशन कार्डधारियों को 1/- रु. प्रति किग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2/- रु. प्रति किग्रा. की दर से पात्रतानुसार सप्लाय चैन मैनेजमेंट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से गेहूँ आवंटन किया गया है।

गेहूँ आवंटन की श्रेणियाँ (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAI, BPL & SBPL	1/-रु.
द्वितीय	PHH (Others)	2/-रु.

2. खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01.03.2019 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह अप्रैल, 2019 का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
3. खाद्य मुख्यालय से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूँ के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूँ के उठाव का रिलीज ऑर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूँ के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति की होगी।
4. खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूँ के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियाँ संधारित की जाएगी।


5. उचित मूल्य दुकानों को गेहूँ की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान पर दोनों श्रेणियों (प्रथम श्रेणी- अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं द्वितीय श्रेणी- PHH अन्य श्रेणी) के कार्डों की संख्या के आधार पर की जाएगी।
6. उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न मात्रा (गेहूँ) राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न मात्रा (गेहूँ) "सेन्ड-टू-पोस" हो जायेगी।
7. जिलेवार खाद्यान्न (गेहूँ) का आवंटन जिले की कुल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।
8. नवीन योजना अन्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूँ के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाई जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जाँच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार 1/-रु. किग्रा. की दर से गेहूँ प्राप्त होने की पुष्टि हो सके।
9. नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूँ का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेंस स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं पीएचएच अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।
10. गेहूँ वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Receipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
11. सप्लाइ चैन मैनेजमेंट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशन कार्डों की संख्या के आधार पर गेहूँ का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से गेहूँ का समर्पण नहीं किया जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूँ के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर—
 - (अ) समर्पण के प्रस्ताव जिला कलक्टर (रसद) के माध्यम से समुचित कारण (Justifications) सहित प्रेषित किए जाएँ।
 - (ब) गेहूँ का समर्पण भी श्रेणीवार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल) एवं द्वितीय श्रेणी (PHH अन्य श्रेणी) श्रेणी में गेहूँ के समर्पण का रिकॉर्ड पृथक-पृथक संधारित किया जाएगा।
12. सप्लाइ चैन मैनेजमेंट व्यवस्था नवीन लागू की गई है। अतः प्रारम्भिक 7 माह (सितम्बर, 2018 से मार्च, 2019) में दुकानों को पूर्ण आवंटन किया गया है किन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उचित मूल्य दुकानवार उपलब्ध स्टॉक की मात्रा के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में गेहूँ आवंटन किया जाएगा।

13. माह अप्रैल, 2019 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव /वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे एवं मार्च में वितरण हेतु जारी विभागीय पत्र दिनांक 01.03.2019 के अनुसार वितरण किया जावे।

इस विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह मार्च, 2019 तक का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(अंजू राजपाल)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018-11 जयपुर, दिनांक: 05.03.2019
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टॉक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह अप्रैल, 2019 हेतु आवंटित गेहूं की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करावें। गेहूं उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी ठोस वजह के गेहूं उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।


उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थी) हेतु
जिलेवार आवंटन माह अप्रैल, 2019**

क्र.सं.	नाम जिला	1 Rs per K.G.			2 Rs per K.G	Final Allotment (MT)
		Final NFSA AAY Allotment (K.G.)	Final NFSA BPL Allotment (K.G.)	Final NFSA SBPL Allotment (K.G.)	Final NFSA PHH (Others) Allotment (K.G.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6/1 000
1	अजमेर	645190	1143310	464760	5964280	8217.540
2	अलवर	720230	1726865	600055	9789105	12836.255
3	बांसवाडा	1564780	2947060	901990	3174090	8587.920
4	बारा	1595545	1019155	232655	2566305	5413.660
5	बाडमेर	829185	2980230	468500	5420500	9698.415
6	भरतपुर	531265	1667880	399475	5539410	8138.030
7	भीलवाडा	881265	1989085	663175	4368070	7901.595
8	बीकानेर	412300	2390580	527485	3224470	6554.835
9	बूंदी	449155	850095	253815	2097145	3650.210
10	चित्तौड़गढ़	1001700	1126795	710935	2367610	5207.040
11	चूरु	804370	2176305	461900	3521530	6964.105
12	दौसा	362845	1308750	197545	4063945	5933.085
13	धौलपुर	318395	908350	192260	3052095	4471.100
14	डूंगरपुर	1106455	3041055	417235	2353410	6918.155
15	श्रीगंगानगर	411040	1571230	181845	3666460	5830.575
16	हनुमानगढ़	491925	1207605	214420	3340555	5254.505
17	जयपुर	468580	1939515	618750	11943635	14970.480
18	जैसलमेर	221025	593100	153250	1160095	2127.470
19	जालौर	773535	1802905	388995	3127720	6093.155
20	झालावाड	559895	1347390	347965	3446545	5701.795
21	झुंझुनु	321755	632565	243440	4564150	5761.910
22	जोधपुर	298340	2140745	242600	7231960	9913.645
23	करौली	577220	1781365	333210	2250945	4942.740
24	कोटा	342265	1345430	208750	3029755	4926.200
25	नागौर	595770	1655450	451525	9357680	12060.425
26	पाली	674835	1601190	414985	4151775	6842.785
27	प्रतापगढ़	493360	1353325	331500	1709930	3888.115
28	राजसमंद	670635	1179960	316140	2277765	4444.500
29	सवाईमाधोपुर	535045	1006685	367170	2421290	4330.190
30	सीकर	305340	960555	213470	7399765	8879.130
31	सिरोही	366730	754770	239570	2657260	4018.330
32	टोंक	593950	1066660	452160	3100685	5213.455
33	उदयपुर	1854475	4655260	989285	5267565	12766.585
योग		21778400	53871220	13200815	139607500	228457.935

M
05/08/19